



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम की में जारी
---------------	-----------------------------------	---------------------------------------

मे से 01 बीघा भूमि आ.न. 6434 डोरी में  
से 74 हिस्सा वय विप. गप. था। इस  
विक्रय पत्र के आधार पर आ.न. 6429  
मे से 01 बीघा भूमि न.कारण स. 98  
दिनांक 4.6.72 से उसके पूर्वज पन्नालाल  
के नाम पर दर्ज हो गई थी, मगर सेटलमेंट  
के दौरान उक्त दोनो वय शुद्ध आराजिपात  
विक्रयत प्रणालाल के नाम दर्ज हो गई।  
इकारण से प्रतिवादी संख्या 01 के रिक्वाय  
दिनांक 9.12.14 को एकातर का वापवाइ के  
आदेश हो चुके हैं। प्रतिवादी स. 02 को  
वरबल के म. सु. गप. वादी द्वारा प्रस्तुत  
रिक्वाय विक्रय पत्र एवं साखि, रेकार्ड  
से यह सिद्ध है कि प्रस्तात साखि,  
आराजिपात 6429 मे से शक. 01 बीघा  
एवं 6434 डोरी मे से 74 हिस्सा वादीगणो  
के दादा श्री पन्नालाल द्वारा वय  
विक्रय गपे है। एवं इनमे से आ.न. 6429 मे  
से शक. 01 बीघा का नामांतरण वादी  
गणो के दादा पन्नालाल के नाम दिनांक  
4.6.72 को शक. 01 बीघा के नामांतरण  
2024-27 मे इसका अमल करण की है  
पुना था। परन्तु सेटलमेंट वापवाइ के  
दौरान जमे आ.न. 409 शक. 01 (8 बिरवा)  
एवं 4501 ज. सु. डोरी शक. 0.01 बिरवा  
विक्रयत प्रणालाल के नाम ही दर्ज रेकार्ड  
है।

उक्त वादवादी शक. 01 बिरवा विप. गप. जा कर  
वादीगणो का नाम साखल की आ.न.  
4509 शक. 0.18 बिरवा एवं 4501  
शक. 0.01 बिरवा डोरी मे से 74 हिस्से  
का शक. 01 बिरवा वास्तवार् घोषित विप.  
जाता है।

आज यह निर्णय सुले न. धापालप मे  
सुनाया गया।

पदावली पेशाल सुमार है कर  
नम्बर स. काम है।

(देवी सिंह)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं

आ.न. 6 ( ) स्थान / डी.ए.  
अतिरिक्त आ.न. (कम)  
जनजाति क्षेत्र विकास विभाग  
उदरपुर  
मिस्त्र- आयकर फॉर्म  
भिवाने बाबा

न्यायालय उपखण्ड अ  
(पीठासीन  
कैम्प कोर्ट

पीठासीन अधिकारी : -

देवीलाल  
दावा बाबत  
मुकदमा नम्बर :-  
निर्णय दिनांक  
वादी की ओर से  
से  
को  
के  
डिक्री दी जाती है कि  
वादी  
को गप. म.  
बिरवा एवं  
7 हिस्से  
जाता है।

खचा पक्षका  
यह आज  
गई।

1
2
3
4
5
6
7